छत्तीसगढ़ विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 18, 1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2010-2011 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1086/एल 8-9/2011/वित्त/बजट-4, दिनांक 23 जुलाई, 2011 पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, वर्ष 2010-2011 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों का निष्पादन (परफार्मेंस) बजट पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री कवासी लखमा, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, सदस्य, सुकमा थानांतर्गत आदिवासी की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री शिवराज सिंह उसारे, सदस्य, जिला राजनांदगांव के उत्तर वन परिक्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. शक्राजीत नायक, श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश में कीटनाशक दवाईयों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री अमितेश शुक्ल, सदस्य, जल संसाधन विभाग में व्याप्त अनियमितता की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री राजू सिंह ठाकुर, सभापति, याचिका समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री अजीत जोगी, सभापति, लोक लेखा समिति का इक्यासीवां, बयासींवा, तिरासींवा, चौरासींवा, पचासींवा, छियासींवा एवं सतासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

- (i) ग्राम आटरा में संचालित हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
- (ii) ग्राम उमरवाही में बालक आश्रम शाला खोलने,
- (iii) ग्राम कुसुमकसा में संचालित हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
- (iv) ग्राम पंचायत उमरवाही में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन करने,
- (v) ग्राम बादराटोला से चोरहाबंजारी मार्ग में स्थित नाले पर एनीकट कम कॉजवे निर्माण करने,
- (vi) ग्राम पंचायत चिखली में संचालित हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

क्रमश: 2

(2) श्री ह्लदयराम राठिया, सदस्य, लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

(i) ग्राम कोटमार में संचालित हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम आमापाली से टोहिलाकुण्डा मार्ग में स्थित केलो नदी पर पुल निर्माण करने,

(iii) ग्राम खम्हरिया में संचालित हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(iv) ग्राम बनई में संचालित हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(3) श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य, बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) सुहेला में महाविद्यालय खोलने,

(ii) ग्राम भूमिया में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम टण्डवा से भुरसुदा मार्ग का पुल-पुलिया सहित डामरीकरण करने,

(4) श्री बोधराम कंवर, सदस्य, कटघोरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चाकाबुड़ा में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(5) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य, जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम बसंतपुर से नरियरा होकर मुख्यमार्ग घोघरी तक सड़क निर्माण करने ,

(ii) ग्राम बिर्रा से बम्हनीडीह होकर चांपा तक सड़क निर्माण करने ,

(iii) शिवरीनारायण से केरा होकर बिर्रा तक पुल-पुलिया सहित सड़क चौड़ीकरण एवं डामरीकरण करने,

(6) श्री नंदकुमार साहू, सदस्य, रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम पंचायत डोमा में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने ,

(ii) ग्राम पंचायत डोमा एवं दतरेंगा में स्टापडेम निर्माण करने तथा

(iii) महर्षि वाल्मिकी वार्ड क्रमांक-28, लभांडी में हाई स्कूल खोलने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे ।

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

2 घंटे (1) श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

3 घंटे (2) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी विधेयक,2011 (क्रमांक 20 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

2 घंटे 30 मिनट (3) श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि- छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

7. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट

प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का रकबा निरंतर कम होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी,सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

8. अशासकीय संकल्प

अंतिम
2 घंटे 30 मिनट

श्री नन्द कुमार पटेल,सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश की राजधानी रायपुर के नई राजधानी क्षेत्र में निर्मित मंत्रालय भवन का नाम **'माता कौशल्या भवन'** रखा जाय.''

रायपुर
दिनांक 8 सितम्बर,2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 18,1933)

समय 11:00 बजे दिन

की

अनुपूरक कार्य सूची

कार्यसूची के पद 6 के पश्चात् पद 7 निम्नानुसार सम्मिलित कर पढ़ा जाये :-

7. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

(1) श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, प्रस्ताव करेंगी कि-ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरूकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(2) श्री बद्रीधर दीवान, सभापति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति, प्रस्ताव करेंगे कि - दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों, शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(3) श्री नारायण चन्देल, सभापति, सदन की जांच समिति प्रस्ताव करेंगे कि - रोगदा जलाशय को हस्तांतरित करने और इससे संबद्ध विषयों पर जांच हेतु गठित सदन की समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

कार्यसूची में पूर्व में सम्मिलित **पद क्रमांक 7 एवं 8 को पुनर्क्रमांकित कर पद क्रमांक 8 एवं 9 पढ़ा जावे.**

रायपुर

दिनांक 9 सितम्बर, 2011

देवेन्द्र वर्मा

सचिव.